वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, मार्च ०९, २०१५

एस.ओ.292.-रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की घारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित, अधिसूचना सं.एफ.2(47)एफडी/टैक्स/ 09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नुतिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-। के अधीन क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अधिकतम पद्मास हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए'' हटायी जायेगी।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-228] राज्यपाल के आदेश से, भूजीय माथुर,

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2015

S.O.292.- In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification No.F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, under the head ARTICLE-I, in column number 3 against serial number 1, the existing expression "subject to a maximum of rupees fifty thousand" shall be deleted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-228] By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government